न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 107/2017

1. ओमप्रकाश पुत्र धन्नाराम
2. रामेश्वर पुत्र नानूराम
3. कुलदीप पुत्र बलराम

जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा चक 18 पीटीपी खेत में ढ़ाणी तहसील संगरिया जिला जिला हनुमानगढ़ ——अपीलार्थीगण

बनाम

1. रजीराम
2. भागीरथ
3. गोरधन
4. गोपीराम

पिसरान बुधराम जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

5. बनवारीलाल पुत्र भूराराम
6. सोहनलाल पुत्र भूराराम
7. बलराम पुत्र सुलतान
8. रणवीर पुत्र सुलतान
9. रामकुमार पुत्र मोमनराम
10. आदराम पुत्र मोमनाराम –मृतक

10/1 मोहिनी पत्नी आदराम
10/2 पवनकुमार पुत्र आदराम
10/3 निर्मला पुत्री आदराम
10/4 शिमला पुत्री आदराम

11. कौशल्या पुत्री मोमनराम
12. चन्दोदवी पुत्री मोमनराम
13. प्रकाश देवी पुत्री मोमनराम

जाति जाट निवासी चक 18 पीटीपी ढाणी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

5/6/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

14. गुलाबीदेवी पत्नी मोमनराम | जाति जाट निवासी चक 18 पीटीपी ढ़ाणी
15. साहबराम पुत्र धनाराम | किशनपुरा उतराधा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
16. भूपराम लाऔलाद फौत तर्क
17. बीरबल पुत्र नानूराम –मृतक
17/1तुलछा देवी पत्नी बीरबलराम | जाति जाट निवास किशनपुरा उतराधा तह0
17/2 लीलाधर पुत्र बीरबलराम | संगरिया जिला हनुमानगढ।
17/3 राजेन्द्र कुमार पुत्र बीरबलराम
18. काशीराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा हाल 12 पीटीपी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
19. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सादुलशहर।
20. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा सादुलशहर।
21. शाखा प्रबन्धक ओरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स शाख खैरूवाला ।
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सादुलशहर । ––रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर 11.08.2017 व 16.08.2017

उपस्थितिः–

श्री रामसिंह ढाका अभिभाषक अपीलार्थी
श्री मोहनलाल माहर, अभिभाषक संख्या 1 से 4
श्री देवेन्द्र गुप्ता अभिभाषक रेस्पो संख्या 19
श्री महावीर धारणिया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 05.06.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो. संख्या 1 से 4 ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 88, 53, 188 का पेश कर चक 20 पीटीपी के खाता संख्या 63/60 में व चक 18 पीटीपी के खाता संख्या 37/24 में प्रतिवादीगण का हिस्सा 2.10 बीघा उनके हिस्से अनुसार तर्क किया जाकर वादीगण को कुल 58.10 बीघा का खातेदार

5/6/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

घोषित करने एवं वाद पत्र की मद संख्या 7 की उपमद अ,ब, स द के अनुसार खातेदार घोषित किया जाकर वादीगण का खाता अलग करने व वादीगण के नाम अलग से रेवेन्यू कायम करने का निवेदन किया तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष चाहा । प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5, 12, 15, 16 ने जबाव दावा पेश कर वाद खारिज करने का निवेदन किया ।

दावा एवं जबाव दावा के आधार पर अधी.न्यायालय ने अनुतोष सहित 6 वाद बिन्दु कायम किये गये एवं सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 11.08.2017 को वाद स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाशक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण ने चक 6 के आरडब्लू में 5 बीघा , चक 20 पीटीपी व चक 18 पीटीपी में कुल 112 बीघा भूमि इस प्रकार तीनों चकों की कुल 117 बीघा अर्थात 29.601है0 रकबा ब.हि.ब. बताया है जिसमें एक हिस्सा में रेस्पो./वादीगण तथा दूसरे हिस्से में अपीलांट मय रेस्पो. प्रतिवादीगण की भूमि बतलाई है। अपीलांट मय रेस्पो. ने अपना जबाव दावा पेश किया तथा चक 6 केआरडब्लू की भूमि सन् 1974 में बेचना बताया, बाकी दोनों चकों की भूमि ब.हि.ब कब्जा काश्त में होना दर्ज किया है। स्टेट की ओर से कोई जबाव दावा पेश नहीं किया गया। अधी.न्यायालय ने प्लीडिंगस के आधार पर तनकीयात कायम नहीं की है। रेस्पो. वादीगण ने साक्ष्य में बयान करवाये एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित कराये। चक 6 केआरडब्लू की भूमि 1974 में विक्रय हो गई है जिसका जिक्र प्लीडिंगस में किया है। जब भूमि 1974 में विक्रय हो चुकी है तो 42 वर्ष बाद ब.हि.ब.कैसे हुई। विक्रय हुई भूमि किसके द्वारा विक्रय की गई तथा प्रदर्श 4 से 6 दस्तावेज मार्क करने से दस्तावेज साबित नहीं किये है। चक 6 केआरडब्लू की 5 बीघा भूमि खातेदार नानू व बुधा के नाम से ब.हि.ब. दर्ज थी जो सन् 1974 तक चली आ रही है अपने हिस्से से ज्यादा नानू अथवा बुधा भूमि क्रय नहीं कर सकते थे, नानू ने अपने हिस्सा का विक्रय किया है बुधा का हिस्सा

5/6/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विक्रय नहीं हुआ है। बैयनामा जो प्रदर्शित कराये है वे दोनों ही नानू द्वारा कराये गये है। नानू अपना हिस्सा 2.10 बीघा बेचान करने का अधिकारी था। अधी. न्यायालय ने नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है। अपीलाधीन आदेश कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखे बिना पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में 2015 आरआरटी 183, 2017 आर.आर.टी. 689, 610, 547,353, 1991 आरआरडी 218, 2014 आरआरटी 252, 2015 आरआरटी 592, 2008 डीएनजे 853 की नजीरे पेश की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण द्वारा वाद पेश करने पर प्रतिवादीगण द्वारा जबाव दावा पेश किया गया। दावा एवं जबाव दावा के आधार पर तनकीयात कायम की गई एवं उन पर पक्षकारों की साक्ष्य ली जाकर वादीगण का वाद स्वकार किया गया है। प्रदर्श 4, 5 बैयनामा है जिसके आधार पर इन्तकाल दर्ज दर्ज रजि0 हो चुका है। अधी.न्यायालय ने सभी साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए वाद स्वीकार किया है जिसमें कोई विधिक भूल नहीं होने से अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी सादुलशहर के निर्णय दिनांक 11.08.2017 व संशोधित डिक्री दिनांक 16.08.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसमें रेस्पो. का दावा डिक्री किया है जबकि अधी.न्यायालय ने विधि के प्रावधानों के विरूद्ध दावा डिक्री किया है। अतः अधी.न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधी.न्यायाय के निर्णय का क्रियात्मक अंश है कि चक 20 पीटीपी प.नं. 97/137 मु.नं. 2 कि.नं. 12, 18 में 7 बिस्वा, कि.नं. 19, 22, 23, प.नं. 98/138 मु.नं. 4 कि.नं. 1, 2 में 10 बिस्वा , कि.लं. 9 से 12, 19 से 22, प.नं. 98/139 मु.नं. 11 कि.नं. 2 में 16 बिस्वा कुल 3.706है0 आराजी का वादी सं. 1 रजीराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया

5/6/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

जाता है। उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी सं. 1 के नाम दर्ज की जाकर वादी सं. 1 का खाता अलग से कायम किया जावे। चक 20 पीटीपी के प.नं. 97/138 मु.नं. 5 कि.नं. 1 से 3, 8 से 14, 17, 18, 25 , प.नं. 98/139 मु.नं. 11 कि.नं. 2 में 4 बिस्वा, कि.नं. 3, 4 में 8 बिस्वा कुल 3.693है0 वादी सं. 2 भागीरथ को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी सं. 2 के नाम दर्ज की जाकर वादी सं. 2 का खाता अलग कायम किया जावे। चक 20 पीटीपी प.नं. 96/138 मु.नं. 6 कि.नं. 5, 6, प.नं. 97/138 मु.नं. 5 कि.नं. 4 से 7 , 15, 16, पं. नं. 97/137 मु.नं. 2 कि.नं. 13, 16, 17, कि.नं. 18 में 13 बिस्वा, कि.नं. 21, 24, 25 कुल 3.706है0 वादी सं. 3 गोरधन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी सं. 3 के नाम दर्ज की जाकर वादी सं. 3 का खाता अलग से कायम किया जावे। चक 20 पी.टी.पी. प.नं. 98/138 मु.नं. 4 के कि.नं. 13 से 18 , 23 से 25, प.नं. 98/139 मु.नं. 11 कि.नं. 4 में 12 बिस्वा, कि.नं. 5, 6, 7 कुल 12.12 बीघा यानि 3.187है0 वादी सं. 4 के नाम दर्ज की जाकर वादी सं. 4 का खाता अलग से कायम किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

अधी.न्यायालय में रेस्पो. (वादीगण) द्वारा वाद पेश किया जिसका अपीलांटस बनवारीलाल, रणवीर, राजकुमार, ओमप्रकाश, काशीराम, रामेश्वर(प्रतिवादीगण) द्वारा वादपत्र के तथ्यों को अस्वीकार कर जबाव दावा पेश किया जो सिविल प्रकियां संहिता के प्रावधानुसार दावा एवं जबाव दावे के आधार पर तनकीयात कायम किया जाना आज्ञापक प्रावधान है एवं प्रत्येक तनकी पर संग्रहित साक्ष्य के आधार पर तनकीवार निर्णय होकर दावे का निर्णय विधि के आज्ञापक प्रावधान है। अधी. न्यायालय की पत्रावली पर 5 तनकीयात निर्मित होने की पी.यू.सी. उपलब्ध है जिसकी इबारत है कि अज अदालत उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) सादुलशहर तनकीयात दिनांक रजीराम बनाम बनवारीलाल आदि दावा मुकदमा नं. 91/2012 (1) आया वादीगण चक 20 पीटीपी के खाता सं. 63/60 में व चक 18 पीटीपी के खाता सं. 37/24 में प्रतिवादीगण का हिस्सा 2.10 बीघा उनके हिस्से अनुसार तर्क

5/6/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

करवा वादीगण कुल 58.10 बीघा आराजी की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं।

——वादीगण

(2) आया वादीगण दावा की मद सं. 7 की उपमद अ, ब, स, द के अनुसार घोषणा प्राप्त कर खाता अलग कर कायम करवाने के अधिकारी हैं।——वादीगण

(3) आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। ——वादीगण

(4) आया आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभावित सम्पत्ति थी और विक्रयशुदा आराजी में नानू व बुधा दोनों की ब.हि.ब. आराजी कम हुई थी। वादीगण प्रतिवादीगण के हिस्सा की 2.10 बीघा आराजी तर्क करवाने के अधिकारी नहीं हैं।

—— प्रतिवादी सं. 1, 4, 5, 12, 15, 16

(5) आया आराजी का कानून सम्मत बंटवारा नहीं हुआ है। वाद वादीगण गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण काबिले खारिज है। —— प्रतिवादी सं. 1, 4, 5, 12, 15, 16

परन्तु उपरोक्त तनकीयात को अपीलाधीन आदेश में समाहित नहीं किया गया तथा न ही तनकीयात का विवेचन होकर तनकीवार कोई निर्णय नहीं किया गया है जो सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 का Mandatory प्रावधान है जिसकी Bare-reading है कि न्यायालय हर एक विवाद्यक पर अपने विनिश्चय का कथन करेगा– उन वादों में, जिनमें विवाद्यक की विरचना की गई है, जब तक कि विवाद्यकों में से किसी एक या अधिक का निष्कर्ष वाद के विनिश्चय के लिए पर्याप्त न हो, न्यायालय हर एक पृथक विवाद्यक पर अपना निषकर्ष या विनिश्चय उस निमित कारणों के सहित देगा।

परन्तु अपीलाधीन आदेश में विधि के इस प्रावधान का पूर्ण रूपेण उल्लघंन किया है, वही अधी.न्यायालय में दावा रा.का.अ. की धाराए 88, 53, 188 के तहत दर्ज होकर निर्णय धारा 88, 53 में ही किया गया है जो धारा 188 बाबत कोई निर्णय पारित नहीं करना विधिक नुक्श है तथा संशोधित डिक्री दिनांक 16.082017 का कियान्तम अंश सिविल प्रकिया संहिता की धारा 152 के तहत

5/4/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

जारी किया गया है वह भी इस विधि की परिधि में नहीं आता क्योंकि इस धारा में Clerical Mistake या Arithmatic Mistakes को ही दुरस्त किया जा सकता है जबकि अपीलाधीन आदेश में डिक्री को ही संशोधित किया है जो सीपीसी की धारा 152 की परिधि में नहीं आती है। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.08.2017 व 16.08.2017 अपास्त किये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/6/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर